A N Sinha Institute of Social Studies, Patna

Sociology and Social Anthropology

Unit - V

लिंग एवं समाज (Gender and Society)

लिंग एवं समाज आधुनिक वैश्विक विमर्श का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य जैविक विभेद को सामाजिक आयामों से जोड़ता है । लैंगिक विमर्श की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है, जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा महिलाओं की स्थितियों पर आयोग के गठन का आह्वान किया गया।

इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मैक्सिको सिटी में 1975 में महिलाओं पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य आशय महिलाओं कि स्थितियों पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करना था।

जैविक रचना कि दृष्टि से मानव समाज को तीन भागों में बांटा जा सकता है, ये हैं –

1) पुरुष, 2) महिला एवं 3) ट्रांस-जेंडर

लेकिन जब कभी लैंगिक अध्ययन की बात की जाती है तो उसका आशय प्रायः महिला अध्ययन से ही लगाया जाता है । लेकिन, विगत कुछ वर्षों से ट्रांस-जेंडर को भी विमर्श में समाहित किया गया है।

लिंग एवं समाज सम्बन्धित अध्ययन का आशय समाज में व्याप्त लिंग आधारित भेदभावों और उनकी शिक्षा व सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों, आयोगों और समितियों द्वारा निर्धारित मुद्दों तथा सुझाये गए उपायों की परिचर्चा करना है।

लिंग एवं समाज अध्ययन के अंतर्गत सर्वप्रथम लैंगिक विभेद की आधारशिला के रूप में परिवार की संरचना एवं समाजीकरण के विविध आयामों को समझना होगा।

इसके अंतर्गत परिवार की सत्तात्मक संरचना, उत्तराधिकार के हस्तांतरण की प्रकृति एवं लैंगिक अस्मिता के निर्माण की स्थितियों को समझना होगा।

इस क्रम में बालक एवं बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित संबोधन के अतिरिक्त शिक्षा एवं अन्य सामाजिक आयामों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

इसके लिए शिक्षा में लैंगिक सरोकारों, प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एवं परिवर्तनशील स्थितियों की समीक्षा समीचीन होगा।

लिंग एवं समाज के विश्लेषण के अंतर्गत विविध कालक्रमों में महिलाओं की स्थितियों एवं उनके सुधार से सम्बन्धित गतिविधियों व आंदोलनों के अध्ययन की भी आवश्यकता होगी। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिगत इन कालावधियों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

1) स्वतन्त्रता-पूर्व महिला आन्दोलन एवं
2) स्वतंत्रता-पश्चात् महिला आन्दोलन

स्वतन्त्रता-पूर्व महिला आन्दोलन को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

1) पुरुषों द्वारा संचालित महिला आन्दोलन एवं
2) महिलाओं द्वारा संचालित महिला आन्दोलन

इसी प्रकार स्वतंत्रता-पश्चात् महिला आन्दोलनों के अंतर्गत समाहित विषयों में

1) निर्णायक पदों / सत्ता पर निर्णायक भागीदारी सम्बन्धित आन्दोलन,
2) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता एवं सहभागिता सम्बन्धित आन्दोलन,
3) आर्थिक शोषण एवं हितों के विरुद्ध आन्दोलन, तथा
4) सामाजिक बुराइयों एवं शोषण के विरुद्ध आन्दोलन

इसके अतिरिक्त शिक्षा में भागीदारी, श्रम सुधारों में महिला चेतना तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार व हिस्सेदारी के दृष्टिगत भी महिला आन्दोलनों को देखा जा सकता है।

लैंगिक उत्पीड़न एवं उनके निवारण के उपायों के दृष्टिगत भी लिंग एवं समाज सम्बन्धित अध्ययन किये जाते हैं। इसके अंतर्गत :-

1) घरेलू हिंसा एवं प्रतिषेध सम्बन्धित आन्दोलन

2) बाल शोषण एवं उत्पीड़न सम्बन्धित अधिनियम,

3) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लैंगिक हिंसा एवं उत्पीड़न सम्बन्धित अधिनियम,

4) बलात्कार सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम, तथा

5) महिलाओं के कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) सम्बन्धित अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है।

इस लिंग एवं समाज अध्ययन के अंतर्गत लैंगिक विभेद से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों, बालिका शिक्षा, लिंग आधारित भेदभाव, महिलाओं के सर्वांगिक विकास से सम्बन्धित नीतियों, आयोगों एवं सुझावों का विश्लेषण भी आवश्यक हो जाता है, जिसके अंतर्गत :-

नीतिगत प्रावधान एवं सुझाव,
विविध आयोग एवं सुझाव,
विविध समितियाँ एवं सुझाव,
राष्ट्रीय महिला शिक्षा समितियाँ एवं सुझाव,

आदि प्रमुख हैं।

इस अध्ययन इकाई के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित स्थितियों का भी अवलोकन अत्यावश्यक है, जो लिंग एवं समाज से सम्बन्धित अध्ययन के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1) Kumar Krishna (2010), Culture, state and Girls: An Educational Perspective, Economic and Political weekly, Vol- 17.
2) NCERT (2018), आधार-पत्र 3.2: Gender Issues in Education, NCERT, Delhi
3) Simone de Beauvoir (2015), The Second Sex, Vintage Publishing, London, United Kingdom.
4) Dubey Leela (1988), On the Construction of Gender: Hindu Girls in Matrilineal India, Economic and Political Weekly, EPW, Vol. 23, No. 18.
5) अरोरा पंकज (2012), विद्यालयों में यौन शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
6) जागोरी (2013), यौन उत्पीड़न: युवाओं एवं किशोरों के लिए नुस्खे, नई दिल्ली।
7) भारत का संविधान (2018), बुद्धम पब्लिशर, नई दिल्ली, इंडिया
8) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, भारत सरकार.
9) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, भारत सरकार
11) बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012, भारत सरकार.
12) अग्रवाल, जे सी (1991) भारतीय शिक्षा पद्धति: संरचना और समस्यायें, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली.
13) निरन्तर (2010), कोठारी आयोग रिपोर्ट: भारत सरकार का दस्तावेज़, जेंडर और शिक्षा रीडर, भाग-1, नई दिल्ली.
14) भारत सरकार (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
15) Mathew, P D and P M Bakshi (2009). Women and Constitution, Legal Education Series No.- 17, Revised by Vasundhara, Indian Social Institute, New Delhi.
16) NCERT (2013), Training Material for Teachers and Educators on Gender Equality and Empowerment, Vol I: Perspective on Gender and Society, PP 13-14.
17) National Policy on Education (1986), Programme of Action (1992), New Delhi.
18) National Education Policy (2020), Ministry of Human Resource Development, Government of India.